

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

03 / 2021
11.01.2021

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

महावीर पुत्र सूरजमल जाति ब्राहमण निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोंक

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार सोप दिनांक 28.10.2020 मिसल नम्बर 1288 / 2020

उपस्थिति : (1) श्री बाबू लाल गुन्सारिया, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 07.04.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 28.10.2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3515/1707,1713 रकबा 1.67 है०, किस्म सिवायचक वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर फसल काश्त करने के कारण पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 668/रु. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। निर्णय एक पक्षीय है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय माहित करने से पूर्व वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मंगवाई और न मौके



जिला कलेक्टर
टोंक



निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर 40-50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा है, अपीलांट भूमिहीन काश्तकार पेशा व्यक्ति है। भूमि अपीलांट के पक्ष में नियमन योग्य है। अपीलांट ने नियमानुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष नियमन करने हेतु आवेदन भी पेश कर रखा है। पटवारी हल्का द्वारा गलत एवं झूठी रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं करवाये हैं। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट किस तारीख को तैयार की तारीख का अंकन भी पटवारी रिपोर्ट में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमि मानकर निर्णय पारित किया गया है, परन्तु निर्णय में अपीलांट को पूर्व में कब कौनसी तारीख अथवा पत्रावली से उसे उक्त भूमि से भौतिक रूप से बंदखल किया गया का उल्लेख नहीं है। अपीलांट ने कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र अपील मीमो के साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 3515/1707,1713 रकबा 1.67 है०, किस्म सिवायचक वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर उडद व चरी की फसल काश्त करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 90 दिवस की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 1889 निर्णय दिनांक 18.02.2020 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलांट की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 3515/1707,1713 रकबा 1.67 है०, किस्म सिवायचक वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर उडद व चरी की फसल काश्त की है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के साथ दिनांक 11.01.2021 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि से मेरा कोई संबंध नहीं है, वर्णित भूमि पर मेरा कोई कब्जा नहीं है और ना ही कच्चा/पक्का निर्माण है, मैंने वर्णित भूमि पर से अपना कब्जा स्वेच्छा से हटा लिया है, भविष्य में उक्त वर्णित भूमि पर कोई कब्जा नहीं करूंगा और ना ही ऐसी कोई भावना रखूंगा। अपीलांट द्वारा अपील मीमो में स्वीकार किया है कि उक्त भूमि पर मेरा 40-45 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 1889 निर्णय



जिला कलेक्टर
टोंक